विवरण

मार्च 1995 में खुले बाजार में गेहूं के मूल्य

(मूल्य रुपये प्रति मीटरी टन)

राज्य का नाम	गेहूं
पंजाब	4100
हरियाणा	4100
उत्तर प्रदेश	4100
दिल्ली	4150
राजस्थान	4150
जम्मू और कश्मीर	4150
हिमाचल प्रदेश	4150
महाराष्ट्र	4500
गुजरात	4350
मध्य प्रदेश	4100
बिहार	4300
पश्चिम बंगाल	4350
उड़ीसा	4350
तमिलनाडु	4600
आंध्र प्रदेश	4550
कर्नाटक	4600
केरल	4600

गेहूं चावल और चीनी के समर्थन और निर्गम मूल्यों में वृद्धि किया जाना

905. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 से 1994 तक गेहूं, चावल और चीनी के प्रति क्विंटल समर्थन मूल्यों में प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं के निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) सरकार द्वारा इन मदों पर दी जाने वाली राज सहायता में वृद्धि किये जाने के बावजूद इनके निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या यह वृद्धि आनुपातिक रूप से की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य निम्नानुसार हैं:—

रुपये प्रति क्विंटल

विपणन वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1990–91	215
1991–92	225
1992–93	275*
1993–94	330*
1994–95	350

*इसमें 25/– रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है ।

लेवी चावल के वसूली मूल्यों को बताने वाले विवरण अनुपत्र में संलग्न हैं । [देखिये परिशिष्ट सं०–173 अनुपत्र 19]

जहां तक चीनी का संबंध है, सरकार चीनी के लिये कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करती है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण अनुपत्र में संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट सं० 173, अनुपत्र सं० 19] ।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में की गई वृद्धि के कारण गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि की जाती है । तथापि, इस प्रकार निर्धारित किये गये केन्द्रीय निर्गम मूल्य वसूल किये गये खाद्यान्नों की आर्थिक लागत को पूर्णतया कवर नहीं करते हैं और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के साथ-साथ इनमें संशोधन नहीं किया जाता है । आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अन्तर सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है । गेहूं और चावल दोनों के मामले में सभ्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली /समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के लिये निश्चित केन्द्रीय निर्गम मूल्य सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50/– रुपये प्रति क्विंटल कम निर्धारित किये जाते है ।

जहां तक चीनी का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा निर्गम मूल्यों में, गन्ने के सांविधिक न्यनतम मल्य, रूपांतरण लागत, वितरण लागत आदि, में हुई वृद्धि को कवर करने के लिये संशोधन किया जाना होता है । चीनी फैक्टरियों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लेवी चीनी सप्लाई करने में उन्हें जो हानि हुई है उसकी भरपाई वे मुक्त बिक्री की चीनी से हुई अधिक आमदनी में से कर लेंगे । इस प्रकार सरकार द्वारा सामान्य परिस्थितियों में लेवी चीनी के वितरण में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है ।

Duty free import of sugar

906. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government had allowed duty free import of sugar under open general licence and the importers are under no obligation to either furnish the details in respect of contracted price, country of origin and sale of imported sugar to Government;

(b) if so, the reasons for allowing the duty free import of sugar under OGL;

(c) the measures proposed to be taken to ask the importers to either sell the sugar at reasonable profits or to stop the facility under OGL; and

(b) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Governent, with a view to augment the availability of sugar in the domestic market and to keep the open market prices of sugar under check, decided to allow import of sugar under OGL with zero duty, so as to enable the importers to sell their sugar in the domestic market at competitive prices. It is for the importers to sell the sugar imported by them in the open market as per market considerations and their own commercial judgement.

Sugar muddle in the country

907. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to file criminal cases against the persons responsible for sugar muddle in the country during 1989 and 1994; and

(b) if so, tre details thereof; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) On the basis of the enquiries conducted by the CBI on the sugar imports in 1989 and by the Gian Prakash Committee on the sugar shortage during 1994, there is no proopsal to file criminal cases against any person in this regard.